न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—143/2021/223आर.टी.एक्ट (2021/143)

1. ऐजन पत्नि गोविन्द जाति जाट आयु 65 वर्ष ।
2. मन्जू पुत्री गोविन्द जाति जाट आयु 40 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सराना, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति जाट, निवासी सराना, तहसील टांटोटी,जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टांटोटी जिला अजमेर।
3. उप—पंजीयन अधिकारी, उप—पंजीयन कार्यालय परिसर टांटोटी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टगण

4. भोली पत्नि हगमा आयु 60 वर्ष
5. दिया प्रकाश पुत्री हगमा आयु 26 वर्ष
6. मैना पुत्री हगमा आयु 23 वर्ष
7. छीतर पुत्र हगमा आयु 25 वर्ष समस्त जातिगण जाट, निवासी ग्राम सराना, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पाडेंटसगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजरथान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 41/2015 उनवान नन्दा बनाम हगामा में पारित निर्णय/ डिक्री दिनांक 05.06.2015.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मंगला राम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 02.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 41/2015 में पारित निर्णय/ डिक्री दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध धारा 223 राजरथान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर कथन

किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 188–175 के खसरा नम्बर 1072 रकबा 24–01–00, खसरा नम्बर 1075 रकबा 01–14–00, खसरा नम्बर 1078 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 1080 रकबा 13–03–00, खसरा नम्बर 2203 रकबा 01–04–00 बीघा वाके ग्राम सराना तहसील टांटोटी जिला अजमेर के तन में स्थित हैं पूर्व में ग्राम सराना तहसील सरवाड़ के अधीन था किन्तु टांटोटी में नवीन तहसील सृजित हो जाने से सराना ग्राम टांटोटी तहसील में आ गया। उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख में गोविन्द, हगमा पिता लादू जाति जाट, निवासी सराना के खातेदारी में दर्ज है। गोविन्द की मृत्यु हो चुकी है। विरासत से गोविन्द के बजाय उसके वारिस ऐजन पत्नि गोविन्द व मन्जू पुत्री गोविन्द जो उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 2 व 3 है के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी व कब्जोकाशत की है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी आराजी के 1/2 हिस्से पर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चला रहा है। उपरोक्त आराजी वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 394–387 में लादू की मृत्यु हो जाने से विरासत का हिस्सा उसकी पत्नि गलकू बैवा लादू व गोविन्द हगमा पिता लादू के नाम दर्ज हुई नामान्तरण सं. 244 दिनांक 07.01.1983 से दर्ज हुई तत्पश्चात जगन्नाथ की भी मृत्यु हो गयी। जगन्नाथ का एकमात्र वारिस काबिज जायदाद उसका पुत्र वादी नन्दा है। लादू व जगन्नाथ दोनो सगे भाई थे तथा जमाबन्दी वर्किंग में खाता सं. 394–387 में दोनों के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें 1/2 हिस्सा लादू का व 1/2 हिस्सा जगन्नाथ का था। लादू कि मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी उसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 हगमा, गोविन्द, भैरू व लादू की बैवा गलकू हुये जिसमें गलकू की मृत्यु हो चुकी, गोविन्द फौत हो चुका जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 2 व 3 है एवं भैरू मर चुका उसके एक पुत्र मोती है। इसी प्रकार जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी पत्नि सोसर की भी मृत्यु हो चुकी है एवं उसके एक मात्र वारिस काबिज जायदाद उसका पुत्र नन्दा है जो वादी है। चरण सं. 4 व 5 में वर्णित कारणों से वाद वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा विरासत से वादी के नाम एवं 1/2 हिस्सा लादू के वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था मगर राजस्व अधिकारियों की गलती से वादी का नाम उपरोक्त आराजी में दर्ज होने से रह गया एवं लादू के वारिसान के नाम ही सम्पूर्ण आराजी दर्ज हो गयी जो गलत है। वर्तमान में लादू के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 की नियत खराब हो गई है एवं वे दिनांक 15.04.2015 से वादी को अनावश्यक रूप से उसके कब्जे काश्त में बाधा दे रहे है। वादी ने उन्हें ऐसा न करने का निवेदन किया तो उन्होंने कोई परवाह नही की बल्कि वादी को धमकी दी की वाद वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात हमारे नाम है, हमारे जचेगी वही करेंगे तथा दीगर को विक्रय हस्तान्तरित करेंगे तथा तेरे को काश्त नहीं करने देंगे। तब वादी ने उन्हें ऐसा न करने का निवेदन किया तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की तब वादी ने तहसील कार्यालय सरवाड़ में नकले प्राप्त की तो उक्त तथ्य की सर्वप्रथम दिनांक 20.04.2015 को जानकारी हुई कि वादी का नाम उपरोक्त आराजीयात में दर्ज हाने से रह गया। इसके बाद वादी ने प्रतिवादी सं. 5 को वाद वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज करने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त कर दिनांक 20.04. 2015 को निवेदन किया तो उन्होंने जांच करवाकर रिकार्ड दुरूस्त

करवाने का आश्वासन दिया किन्तु दिनांक 15.05.2015 को उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा जिससे दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वाद–पत्र प्रस्तुत कर वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बहैसियत खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.06.2015 को वाद–पत्र में राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद–पत्र को दिनांक 05.06.2015 को उक्त राजीनामा से निस्तारण करते हुए हुए निर्णय/डिक्री पारित कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय अपीलार्थीगण को कोई सूचना ही नहीं दी गयी और ना ही प्रकरण में पैरवी करने का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को पारित की गयी, पुलिस थाने में दिनांक 12.04.2019 को अपीलार्थीगण को जानकारी होने पर रिपोर्ट दी गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्रमाणित दिनांक 16.06.2021 को प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रसतुत की गई जो नकल लेने में लॉक डाउन के कारण देरी हो गयी है जो क्षमा किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रकरण में हुयी देरी को क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण करने हेतु अपील ग्रहण की जावें।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार करने का अपीलाधीन आदेश दिधि के प्रावधानो के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वाद में पक्षकार मोती नाऔलाद मृत्यु हो गयी तथा हगामा की मृत्यु हो गयी के वारिस परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 07 है। दावाकृत भूमि खसरा नम्बर 1072, 1075, 1078, 1080, 2203 भूमि का वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जो प्रतिवादी संख्या 01 से 04 /अपीलार्थी संख्या 01 व 2 तथा परफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 07 के पति/पिता हगामा के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज थी जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई लेना–देना नही था, में गलत रूप से 1/2 हिस्से की डिक्री बिना किसी आधार के पारित कर दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावाकृत भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1016, 1165, 2204 भूमि का भी बिना दावे के ही निर्णय/डिक्री पारित कर दी तथा इतना ही नही खसरा नम्बर 1015, 1073, 1076, 1077, 1164, 1160, 2202 भूमि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का भी निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई साक्ष्य तनकीयात दस्तावेजात के उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर गंभीर कानूनी भूल

कारित की गई। अधीलाधीन निर्णय/डिक्री पारित करते समय अपीलार्थीगण को काई सूचना ही नही दी गयी और ना ही प्रकरण में पैरवी करने का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को पारित की गई हैं, जो निरस्त योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 किया गया तथा अपीलांटस द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.2021 को प्रस्तुत की गई जो लगभग 06 वर्ष भारी मियाद दाहर प्रस्तुत की गई। प्रार्थना–पत्र में देरी का जो कारण अंकित किये गये है, जो गलत है इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपील को निर्णित करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा दावा राजीनामा से दिनांक 05.06.2015 को स्वीकार किया गया है। राजीनामा के विरूद्ध की अपील चलने योग्य नही हैं। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में पक्षकार मोती व हगामा की मृत्यु हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पर प्रतिवादी संख्या 01 हगामा के हस्ताक्षर है तथा मोती नाऔलाद मृत्यु हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को राजीनामा अनुसार स्वीकार किया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारित फरमायी जावें।

8. सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अंकित कारण संतोष प्रद होने के कारण एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने कोरोना काल एवं लोकडाउन के दौराने हुए विलम्ब को साधारणतया विलम्ब नहीं मानकर प्रकरणों में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने की व्यवस्था दी है, इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावलियॉ का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने कृषि भूमि खाता संख्या 188–175 के खसरा नम्बर 1072 रकबा 24–01–00, खसरा नम्बर 1075 रकबा 01–14–00, खसरा नम्बर 1078 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 1080 रकबा 13–03–00, खसरा नम्बर 2203 रकबा 01–04–00 बीघा वाके ग्राम सराना तहसील टांटोटी जिला अजमेर बाबत् प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री खसरा नम्बर 1016, 1165, 2204 एवं 1015, 1073, 1076, 1077, 1164, 1160, 2202 बाबत् पारित की गई है यानि की वाद–पत्र में अंकित विवादित आराजी से हटकर अन्य

खसरा नम्बरान पर निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जो विधि सम्मत नही है तथा आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दीवानी के अनुसार किसी भी वाद में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा हो सकता है। राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों का एक सुदृढ़ वैकल्पिक साधन/तरीका (Mode) है। राजीनामा जब पक्षकारो की सहमति से होता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना विकट ही है क्योंकि जो कोई पक्षकार राजीनामा में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है तो उसे यह साबित करना होगा कि या तो उक्त राजीनामा धोखे से कराया गया है अथवा विधि विरूद्ध है इसके अतिरिक्त सामान्यतया न्यायालय राजीनामा के आधार पर पारित आदेशों/निर्णयो को वैध ही मानेगी किन्तु कानून की यह स्पष्ट मंशा है कि पक्षकार यदि किसी प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से निस्तारण करना चाहता है तो राजीनामा कानून की परिधि में होना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे में सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। वाद में अपीलार्थी जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 02, 03 थे, की तलबी करवाइ नही गई, ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया तथा सभी पक्षकारान उक्त राजीनामें से सहमत नही थें। वाद में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रकरण में बिना साक्ष्य लिये एवं प्रॉपर तामिल करवाये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है। उक्त राजीनामा कानून की परिधि में नही है तथा इस तरह के विधि विरूद्ध राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के द्वारा वाद संख्या 41/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे राजीनामा से पूर्व दावे में पुनः नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर तनकीयात कायम कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए दावे का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर